हस्तगत प्रकरण में न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता नहीं है और जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए है। हस्तगत प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) की मंशा को पूर्ण नहीं करता है, इस कारण नया रास्ता कायम नहीं जा सकता है। प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया प्रकरण को साबित करने में असफल रहे। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण जोधाराम आदि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थीगण जोधारम आदि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

30.9.21
(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 30.09.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.9.21
(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2022.06.28 10:31:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner